175/2018 3

	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
1/3/21	पत्रावली पेश हुई। अधि. तथा हायवर्स स्थगन होने के कारण पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 6/5/21 को पेश हो।	
24.8.21	दिनांक 23.8.21 को अवकाश होने से पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/अवकाश/अन्यकार्य में व्यस्त होने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 9.11.21 को पेश हो। एस.डी.ई.एम. (का.द्वि.) नवलगढ़ Sanjay	
8/10/21	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प पचलंगी में पेश हुई। वकील वादी व वादीगण व प्रतिवादीगण उपस्थित है वाद के सम्बन्ध में राजीनामा पेश किया तथा निवेदन किया किया वादीगण का वाद में घोषणा व रिकार्ड दुरुस्ती की डिक्री चाही गई के अनुसार स्वीकार करली जावे। (भूमि विभाजन के लिये पृथक से नवीन वाद प्रस्तुत कर अनुतोष लिया जावेगा। अतः वाद पत्र में घोषणा व रेकार्ड दुरुस्ती कि डिक्री अनुसार स्वीकार किया जाता है। वकील वादी को हिदायत दि गई की यदि विभाजन का अनुतोष लेना हो तो पृथक से वाद प्रस्तुत कर सकते है तदनुसार वाद डिक्री किया जाता है। वाद पत्र निर्णय का भाग [illegible] तहसीलदार नवलगढ़ को [illegible] जाता है कि मुताबिक [illegible] व घोषणा की डिक्री न्यायालय द्वारा स्वीकार करली है अतः नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।	[signature] [thumb impression] [signature] धन सुख पदम रामनिवास सुरेश कुमार राजेन्द्र प्रसाद

सुमन [illegible] RAS
शिविर प्रभारी
प्रशासन गांवों के संग अभि. 2021, पं.स. नवलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:57:43 IST
Reason: SelfAttested

4

ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ
श्रीमती सुमन सोनल (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

दावा : बाबत रेकार्ड दुरूस्ति व घोषणा

मुकदमा सं0: 175/18 (झुथाराम ....वगै0 बनाम परमेश्वर ....)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू श्रीमती सुमन सोनल (आर0ए0एस0),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब– मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 8/10/21 .... निर्णयानुसार ~~राजस्व ग्राम~~ मुताबिक वाद वादी चाही गयी रेकार्ड दुरूस्ति तथा घोषणा की डिक्री स्वीकार की जाती है। आज्ञप्ति का वाद पृथक से नवीन पेश किया जावे। वाद पत्र निर्णय का भाग होगा।

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेंगे।

जन............–................ मुबलिग............–............बाबत......–............खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह......–.............फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.............का अदा करे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 8 माह 10 सन .2021 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

प्रशासन गाँवों के संग अभि. 2021, ... उपखण्ड अधिकारी नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	10.00	स्टाम्प अर्जी दावा	.00
वकालतनामा स्टाम्प	.00	स्टाम्प वकालतनामा	.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	2.00	मुतफरिक मिजान	2.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:57:43 IST
Reason: SelfAttested

Reader
8
08/10/21
पेशकार

श्रीमान सिविल जज
राजस्व कोर्ट - परसरामपुरा.

झूंथाराम बनाम परमेश्वर
वगैरह.

राजीनामा

महोदय,

उपरोक्त उनवानी वाद में वादी के स्वर्गवास के पश्चात उक्त वाद में उनके पुत्र प्रमातीलाल व पत्नी पार्वती देवी पक्षकार हैं। उक्त वाद में सभी प्रतिवादीगण ~~की ओर~~ के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है। उक्त वाद में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो गया था। इसीलिए प्रतिवाद नहीं किया गया था। उक्त वाद में आज उपलब्ध हाजिर पक्षकार राजीनामा प्रस्तुत कर रहे हैं कि वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाता है तो उसके लिए हम सहमत हैं। खातेदारी का वाद स्वीकार किया जावे विभाजन ~~हेतु~~ प्रभाव से ~~कार्यवाही की जावेगी~~। अतः निवेदन है कि उक्त वाद में पक्षकारान का राजीनामा तस्दीक कर दावा डिक्री करने की कृपा करें।

Date- 8-10-21

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:57:43 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण
पार्वती देवी पत्नी झूंथाराम
प्रमातीलाल पुत्र श्री झूंथाराम
जाति जाट. नि० परसरामपुरा.
— वादीगण

बंशीधर 1. बंशीधर पुत्र श्री नाथूराम.
प्रहलाद 2. प्रहलाद पुत्र श्री रामदेवाराम.
रामनिवास 3. रामनिवास पुत्र हनुमानाराम.
4. रामरतन पुत्र डानाराम.
सुरेश कुमार 5. सुरेशकुमार s/o श्री मोहनलाल
राजेन्द्र प्रसाद

जाति जाट, नि० ... तह० नवलगढ़

न्यायालय एस.डी.ओ. साहब,

नवलगढ।

झूंथाराम दत्तक पुत्र श्योराम उम्र 86 वर्ष जाति जांगिड़ निवासी चारा का बास, परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज0)

---वादी

बनाम

1- परमेश्वर पुत्र हनुमान
2- सांवरमल पुत्र राधाकृष्ण
3- महाबीर पुत्र हनुमान
4- गौरू पुत्र माला
5- औंकार पुत्र माला
6- रामस्वरूप पुत्र चुना
7- इन्द्राज पुत्र चुना
8- विनोद पुत्र चुना
9- पोकर पुत्र प्रेमा
10- रतन पुत्र कन्हैया
11- नौरंग पुत्र घीसा
12- फूला पुत्र घीसा
13- सुशीला देवी पत्नि दिनेश कुमार
14- रामनिवास पुत्र हनुमान
15- बंशी पुत्र नाथा
16- प्रहलाद पुत्र रामदेवा

झूंथाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:57:43 IST
Reason: SelfAttested

17— मदन पुत्र रामदेवा

18— रामावतार पुत्र दाना

19— मनोहर पुत्र मोहन

20— राजू पुत्र मोहन

21— सुरेश पुत्र मोहन

22— पवन पुत्र गणपत

23— प्रमोद पुत्र गुलझारी

24— विकास पुत्र गुलझारी

25— विक्रम पुत्र गुलझारी

26— गोपाल पुत्र गंगाराम

27— राजेश पुत्र गंगाराम

समस्त जाति जांगिड़ निवासीगण ग्राम चारा का बास, परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज0)

28— शाखा प्रबन्धक, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज0)

29— राजस्थान—सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार, नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:57:43 IST
Reason: Self Attested

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, बटवारा, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

महोदय,

वादी की ओर से वाद—पत्र निम्नानुसार पेश है:—

(1) यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण की हक अधिकार स्वामित्व की सहखातेदारी की कृषि भूमि ग्राम चारा का बास पटवार हल्का परसरामपुरा, भूअभिलेख निरीक्षण क्षैत्र बसावा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू मे अवस्थित है, जिसके खसरा नम्बर 2886 रकबा 0.08 हैक्टर बारानी ततीय, खसरा नम्बर 2890 रकबा 1.09 हैक्टर बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 2895 रकबा 0.57 हैक्टर बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 2896 रकबा 0.38 हैक्टर माफी बारानी कुल खसरे 4 कुल रकबा 2.12 हैक्टर अवस्थित है।

(2) यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण नं0 14 लगायत 27 एक ही सजरा खानदान के सदस्य है एवं उक्त ग्राम चारा का बास पटवार हल्का परसरामपुरा, भूअभिलेख निरीक्षण क्षैत्र बसावा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान मे अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2886 रकबा 0.08 हैक्टर बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 2890 रकबा 1.09 हैक्टर बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 2895 रकबा 0.57 हैक्टर बारानी बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 2896 रकबा 0.38 हैक्टर माफी बारानी कुल खसरे 4 कुल रकबा 2.12 हैक्टर मे बापसी बाह्मी बंटवारा कर बंटवारे के अनुसार काबिज काश्त है और आपसी बंटवारे के अनुसार नींव–सींव कायम कर मौके पर कृषि एवं पशुपालन आदि का कार्य कर रहे है, जिसमे वादी एवं प्रतिवादी नं0 14 लगायत 27 जोएक ही सजरा खानदान के सदस्य है, के हिस्से 1/6 पर वादी अकेला काबिज है एवं वादी [illegible] भूमि पर विगत 50–60 वर्ष से अधिक समय से काबिज [illegible]

Signature Not Verified
Digitally Signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:57:43 IST
Reason: SelfAttested

(3) यह कि वादी एवं प्रतिवादी नं0 [illegible] लगायत 27 एक ही सजरा खानदान के सदस्य है, जिनका सजरा खानदान निम्न प्रकार से है:–

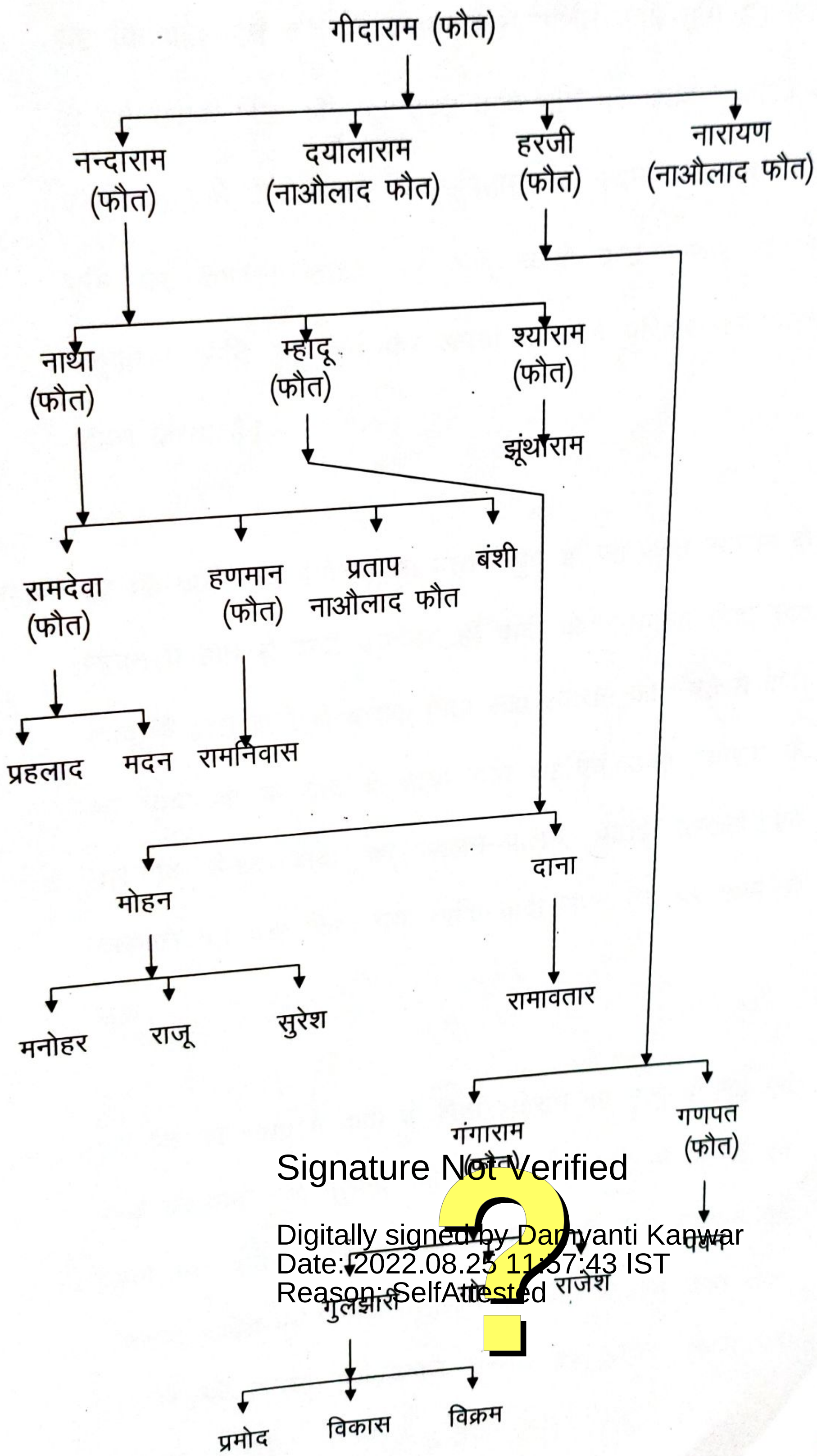

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:57:43 IST
Reason: SelfAttested

(4) यह कि वाद–पत्र की मद संख्या 1 मे वर्णित कृषि भूमि है। वादी से पूर्व उसके पिता पितामह उक्त कृषि भूमि पर काबिज काश्त थे एवं वर्तमान मे वादी अपने पिता–पितामह के स्थान पर उक्त कृषि भूमि पर काबिज काश्त है। कृषि कार्य यथा फसल उगाना पशुपालन आदि का कार्य कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता है।

(5) यह कि वादी स्व0 श्योराम का दत्तक पुत्र है, जो उक्त श्योराम के संतान न होने से वादी बचपनमे ही वादी के जन्मदाता पिता स्व0 म्हादू के द्वारा वादी के दत्तक पिता स्व0 श्योराम जो रिश्ते मे वादी का चाचा था के गोद दे दिया गया था एवं उक्त श्योराम के द्वारागोद लेकर वादी का लालन–पालन, पढाई लिखाई एवं देखभाल कर बड़ा किया गया ताकि वादी अपने पैरो पर खड़ा हो सके।

(6) यह कि वर्ष 1970 मे वादी के पिता श्योराम की मृत्यु हो गई एवं वादी की माता स्व0 गुलाबी देवी की [illegible] 1977 मे हो गई एवं उक्त स्व0 श्योराम की मृत्यु के [illegible] स्व0 श्योराम का एकमात्र वारिस एवं विधिक उत्तराधिका[illegible] के नाते उक्त सव0 श्योराम की समस्त चल अचल सम्पति का अकेला स्वामी एवं हकदार बन गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:57:43 IST
Reason: SelfAttested

मुरलीराम

(7) यह कि वादी के परदादा स्व0 श्री गिदारामजी की कई सम्पतियां ग्राम चारा का बास मे अवस्थित थी, जो उनकी मृत्यु उपरान्त उनके पुत्रो स्व0 नन्दाराम एवं स्व0 हरजी के हिस्से मे आई।

(8) यह कि स्व0 गिदाराम की सम्पतियो मे कई कृषि भूमिया शामिल थी, जो ग्राम चारा का बास की सीमा मे अवस्थित थी एवं स्व0 गीदाराम के वारिस होने के कारण वादी के दादा स्व0 नन्दा एवं स्व0 हरजी अथवा उनके वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हो गई एवं उसी अनुसार किसी वारिस की मृत्यु उपरान्त उसके विधिक उत्तराधिकारियो के नाम राजस्व रिकार्ड मे नामान्तरित हो राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होती रही।

(9) यह कि समय के साथ–साथ खातेदारो की संख्या अधिक होने एवं कृषि भूमि के टुकड़ो मे होने के कारण एवं छोटी भूमियो के कई छोटे–छोटे टुकड़े होने के कारण कृषि कार्य एवं देखरेख मे असुविधा होने लगी, जिसे महसूस कर स्व0 गिदाराम के वारिसान ने छोटी–छोटी भूमियो का बंटवारा करने का निश्चय किया एवं लगभग 50–60 वर्ष पूर्व छोटी–[illegible] अन्य भूमियो का बंटवारा आपसी सुविधा एवं सहमति अनुसार किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:57:43 IST
Reason: SelfAttested

(10) यह कि वादी एवं उसके पिता–चाचा आदि ने मिलकर तैय किया कि छोटी–छोटी कृषि भूमियो मे एक–एक वारिस का हिस्सा महज

1/2 बीघा कच्ची अथवा उससे भी कम बन रहा है, जो उक्त खातेदारो के कृषि उपयोग मे नही आ रही है। वहीं प्रत्येक वारिस के ऐसे छोटे–छोटे कृषि टुकड़े बड़ी दूरी स्थित है, जो कृषि कार्य मे असुविधा एवं देखरेख के अभाव मे बंजड़ बनते जा रहे थे।

(11) यह कि उक्त सभी बातो को ध्यान मे रखकर एवं आपसी सहूलियत को ध्यान मे रख कर वारिसान इस बात पर सहमत हुये कि सम्पूर्ण भूमियो का बंटवारा इस प्रकार किया जावे कि प्रत्येक वारिस को कृषि हेतु कृषि योग्य भूमि एवं अन्य सम्पति इस अनुसार प्राप्त हो कि वह यथा संभव एक ही स्थान पर हो अथवा आस–पास हो ताकि उक्त सम्पदा एवं कृषि भूमि की सार–संभाल एवं कृषि कार्य सुविधापूर्वक किया जा सके।

(12) यह कि इसी क्रम मे वादी एवं प्रतिवादी नं0 14 लगायत 27 के पिता–पितामह ने कृषि भूमियो एवं अन्य सम्पतियो का बंटवारा इसप्रकार से किया कि एक व्यक्ति को यथा संभव एक ही स्थान पर कृषि भूमि प्राप्त हुई और साथ ही यह सुविधा भी हुई कि वे एक ही स्थान पर आये अपने हिस्से की भूमि की देखरेख एवं कृषि कार्य कर अच्छी आय अर्जित कर सकते है एवं आवारा पशुओ आदि से बचाने के लिये उन्हे कई छोटे–छोटे खेतो को बाड़ आदि लगानी नही पड़ेगी बल्कि एक अथवा दो भूमियो को ही देखरेख

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:57:43 IST
Reason: SelfAttested

मायाराम

करनी पड़ती है, जिससे आवारा पशुओ द्वारा फसल का नुकशान करने की संभावना भी कम हो गई है।

(13) यह कि इसी क्रम मे वादी एवं प्रतिवादी नं0 14 लगायत 27 ने 50–60 वर्ष पूर्व अपने जोहड़ी के पास वाली भूमि खेड़ी, नवोड कोठी की भूमि, जाव, चांद की ढाणी वाली भूमि आदि भूमियो का बंटवारा कर लिया और उसी अनुसार काबिज काश्त हो गये एवं उसी अनुसार अपने–अपने हिस्से मे आई भूमियो को विकसित कर कृषि कार्य प्रारम्भ कर दिया एवं अपने–अपने हिस्से मे आई कृषि भूमियो के बाड़ आदि लगा कर एवं कंटिली झाड़ियो आदि को हटा कर कृषि योग्य बना लिया।

(14) यह कि आज से लगभग 50–60 वर्ष पूर्व हुये वादी एवं प्रतिवादीगण नं0 14 लगायत 27 के पूर्वजो की कृषि भूमि के बंटवारे मे वादी के हिस्से मे वाद–पत्र की मद संख्या 1 मे वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2886 रकबा 0.08 हैक्टर बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 2890 रकबा 1.09 हैक्टर बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 2895 रकबा 0.57 हैक्टर बारानी [illegible] खसरा नम्बर 2896 रकबा 0.38 हैक्टर माफी बारानी कुल [illegible] रकबा 2.12 हैक्टर मे 1/6 हिस्सा एवं कुछ अन्य सम्पति [illegible] आई जिसमे से वादी खसरा नम्बर 2895 के 0.353 हैक्टर भाग पर काबिज काश्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:57:43 IST
Reason: SelfAttested

30

(15) यह कि आज से लगभग 50–60 वर्ष पूर्व उक्त भूमियां जो वाद–पत्र की मद संख्या 1 मे वर्णित है मे वादी के हिस्से मे आई 1/6 हिस्से की भूमि को वादी द्वारा कड़ी मेहनत एवं तकलीफो के पश्चात कंटिली झाड़ियो को हटाकर एवं खराब घास एवं अनुपयोगी पौधो, बेलो को हटाकर कृषि योग्य बनाया गया, जिसके उपरान्त विगम 50–60 वर्ष से लगातार एवं अविवादित रूप से उक्त हिस्से पर काबिज काश्त है एवं कृषि कार्य कर अपना व अपने परिवार का पालन–पोषण कर रहा है।

(16) यह कि विगम 50–60 वर्ष से वादी वाद–पत्र की मद संख्या 1 मे वर्णित कृषि भूमि मे अपने 1/6 हिस्से पर लगातार, निर्विवाद काबिज होकर कृषि से संबंधित सभी कार्य यथा जमीन को जोतकर उसमे फसल बोना एवं उक्त फसल की निनाण, लावणी आदि स्वयं व अपनेपरिवार सहित करता आया है एवं अविवादित रूप से वादी के अतिरिक्त उक्त भूमि जो वाद–पत्र की मद संख्या 1 मे वर्णित है के वादी के 1/6 हिस्से पर प्रतिवादीगण नं0 14 लगायत 27 अथवा अन्य किसी का हक अधिकार, स्वामित्व अथवा कब्जा नही है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:57:43 IST
Reason: SelfAttested

(17) यह कि उक्त कृषि भूमि से संबंधित राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रति, गत दिनो वादी को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु निकलवाने पर वादी को पता चला कि वादी के हक अधिकार,

महेन्द्र राम

स्वामित्व एवं कब्जा काश्त की खसरा भूमि जो वाद–पत्र की मद संख्या 1 मे वर्णित है के 1/6 हिस्से बाबत वादी के साथ प्रतिवादीगण नं0 14 लगायत 27 सहखातेदार के रूप मे दर्जशुदा है, जबकि वास्तव मे विगत 50–60 वर्ष से वादी ही अपने बंटवारे मे आये हिस्से अनुसार काबिज है एवं अन्य किसी का कोई सीर व सांझा नही है।

(18) यह कि इस पर प्रतिवादीगण नं0 14 लगायत 27 जिनके हिस्से मे उक्त कृषि भूमि के बदले अन्य भूमि 50–60 वर्ष पूर्व आ गई थी को साथ लेकर रिकार्ड दुरूस्ती हेतु राजस्व अधिकारियो से रिकार्ड दुरूस्ती बाबत निवेदन करने पर टालमटोल करते रहे एवं रिकार्ड दुरूस्ती मे सहयोका आश्वासन देते रहे।

(19) यह कि गत दिनांक 20.09.2017 को कुछ सह खातेदारो द्वारा राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्तकरण से इन्कार करने पर वादी को वादकारण उत्पन्न हुआ, जो लगातार जारी है, जो कि पूर्व मे वाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जो वाद–पत्र मे पक्षकारो के कुसंयोजन एवं अ[illegible] जन[illegible] कारण दिनांक 18.12.2018 को माननीय न्यायालय की [illegible] बाबत दावा विड्रा कर नया दावा पेश करने प्राप्त कर प्रस्तु[illegible] किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:57:43 IST
Reason: SelfAttested

अर्जुदाराम

(20) यह कि बाद मे प्रतिवादी नं0 28 व 29 सरकारी विभाग है, जिसके विरूद्ध कोई भी दावा पेश करने से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है, किन्तु प्रस्तुत दावा पूर्व से विचाराधीन है, जो माननीय न्यायालय की आज्ञा प्राप्त कर दुबारा प्रस्तुत किया जा रहा है, साथ ही प्रतिवादीगण द्वारा पुराना दावा विड्रा करने की स्थिति का फायदा उठाकर भूमि विक्रय पर आमादा है, इस कारण वाद आवश्यक प्रकृति का होने से आवेदन अन्तर्गत धारा 80(2) सी. पी.सी. का अलग से प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय की अनुमति प्राप्त कर दावा पेश किया जा रहा है।

(21) यह कि वाद–पत्र अन्दर मियाद सादर प्रस्तुत है।

(22) यह कि वाद–पत्र उचित न्याय शुल्क पर सादर प्रस्तुत है।

(23) यह कि वादग्रस्त भूमि ग्राम चारा का बास तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान मे अवस्थित है। अतः माननीय न्यायालयको श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार प्राप्त है।

अनुतोषः–

वादी वाद बाबत उदघोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा, रिकार्ड दुरूस्ती प्रस्तुत कर निम्न अनुतोष की याचना करता है:–

(क) यह कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादी नं0 29 तहसीलदार महोदय नवलगढ को आदेशित किया

जावे कि वे वादी को ग्राम चारा का बास पटवार हल्का परसरामपुरा, भूअभिलेख निरीक्षण क्षैत्र बसावा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू मे अवस्थित है, जिसके खसरा नम्बर 2886 रकबा 0.08 हैक्टर बारानी ततीय, खसरा नम्बर 2890 रकबा 1.09 हैक्टर बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 2895 रकबा 0.57 हैक्टर बारानी तृतीय, खसरा नम्बर 2896 रकबा 0.38 हैक्टर माफी बारानी कुल खसरे 4 कुल रकबा 2.12 हैक्टर मे प्रतिवादीगण नं0 14 लगायत 27 के स्थान पर वादी को 1/6 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित कर खातेदारी के रूप मे दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त करे।

(ख) यह कि वादी को उसके बंटवारे एवं कब्जे अनुसार खसरा नम्बर 2895 मे से अपने हिस्से की भूमि के अलग खसरा संख्या एवं वादी का अलग खाता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने के आदेश जारी करने की कृपा करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:57:43 IST
Reason: SelfAttested

(ग) यह कि प्रतिवादी [illegible] लगायत 2[illegible] जा[illegible] स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने की कृपा [illegible] को [illegible] पत्र की मद संख्या 1 मे वर्णित भूमि के 1/6 हिस्से के उपयोग [illegible] भोग जोत मे व्यवधान उत्पन्न न करे।

कृपाराम

34

(घ) यह कि अन्य कोई सिद्धि जो चाही जाने से रह गई हो, वादी के हक मे पड़ती हो प्रतिवादीगण को दिलवाई जावे।

दिनांक: 26-12-18

झूंथाराम

प्रार्थी / वादी

झूंथाराम दत्तक पुत्र श्योराम उम्र 86 वर्ष जाति जांगिड़ निवासी चारा का बास, परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

तस्दीक

मै, झूंथाराम दत्तक पुत्र श्योराम उम्र 86 वर्ष जाति जांगिड़ निवासी चारा का बास, परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू आज बमुकाम नवलगढ शपथपूर्वक तस्दीक करता हूं कि उपरोक्त शपथ–पत्र मेरी स्वयं की जानकारी मे व मेरे कानूनी सलाहकार की सलाह से सही व सत्य होना स्वीकार करता हूं।

दिनांक: 26-12-18

झूथाराम

S.K. Minto
PS

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:57:43 IST
Reason: SelfAttested